राजस्थान सरकार

सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय, झालावाड़

प्रेस समाचार

जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ग्राम भालता में 24 मई को

झालावाड़ 22 मई/ सांसद श्री दुष्यन्त सिंह एवं जिला कलक्टर बिष्णु चरण मल्लिक द्वारा 24 मई को दोपहर 3 बजे सांसद आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत चयनित ग्राम पंचायत भालता के अटल सेवा केन्द्र में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में अधिकारी आवश्यक सूचना के साथ उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे। यह जानकारी जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने दी।

सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक समय में संशोधन

झालावाड़ 22 मई/ जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक सांसद श्री दुष्यन्त सिंह की अध्यक्षता में 25 मई को प्रातः 11 बजे के स्थान पर अब सांय 4 बजे मिनी सचिवालय के सभा कक्ष में आयोजित होगी।

संभागीय आयुक्त 27 मई को लेंगे समीक्षा बैठक

झालावाड़ 22 मई/ संभागीय आयुक्त ओंकार सिंह की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों की योजनाओं, क्रियाकलापों की प्रगति की समीक्षा बैठक 27 मई को प्रातः 11.30 बजे मिनी सचिवालय के सभाकक्ष में आयोजित की जाएगी।

प्राधिकार पंत्र निलम्बित

झालावाड़ 22 मई/ जिला रसद अधिकारी ने बताया कि उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत झिकडिया तहसील झालरापाटन के विरूद्ध प्रथम दृष्टया गम्भीर अनियमितताएं पाये जाने के कारण भेरू लाल–धन्नालाल को जारी प्राधिकार पत्र तुरन्त प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है।

एक उचित मूल्य दुकान का अटेचमेंट

उचित मूल्य दुकानदार बाबूलाल मीणा ग्राम पंचायत मिश्रोली–I तहसील अकलेरा की मृत्यु हो जाने के कारण उक्त दुकान का अटेचमेन्ट उचित मूल्य दुकानदार दुलीचन्द–तुलसीराम बैरवा मिश्रोली III के यहां कर दिया गया है।

राजस्व लोक अदालत अभियान

न्याय आपके द्वार में 729 राजस्व प्रकरणों का निस्तारण

झालावाड़ 22 मई/ जिले में राजस्व लोक अदालत अभियान '' न्याय आपके द्वार '' के तहत गुरूवार को ग्राम पंचायतों पर आयोजित राजस्व लोक अदालतों में राजस्व संबंधी 729 प्रकरणों का समाधान किया गया।

जिला कलक्टर बिष्णु चरण मल्लिक ने बताया कि ग्राम पंचायत स्तर पर 21 मई को पंचायत रामपुरा, चांदपुर भिलान, टांडी सोहनपुरा, लावासल, गुराडिया कलां, गेंहूखेडी, सूमर व डोंडा में राजस्व लोक अदालतों के माध्यम से 729 राजस्व प्रकरणों का निस्तारण कर किसानों व आमजन को राहत पंहुचाई गई।

उन्होंने बताया कि राजस्व लोक अदालतों में राजस्व अधिकारियों द्वारा नामान्तकरण के 281 मामले, खाता दुरस्ती के 99, खाता विभाजन के 91, गैर खातेदारी से खातेदारी के 11, राजस्व नकल के 172, सीमाज्ञान के 5, इजराय के 31 प्रकरण सहित धारा 86, 183 ए. बी व सी, स्थायी निषेधाज्ञा आदि से संबंधित 39 अन्य राजस्व मामलों का निस्तारण किया गया।

25 मई को यहां लगेंगी राजस्व लोक अदालतें

राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार के तहत 25 मई को ग्राम पंचायत तितरवासा, सलोतिया व चछलाव, खाताखेडी, हरीगढ, गुढा, बेरागढ , रूपारेल में राजस्व लोक अदालतें आयोजित की जाएगी।